



सीएसआईआर – भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

सं/No. I-34011/2/2023-प्रशासन नियंत्रक/COA

दिनांक/Dated: 14-07-2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय:- सुरक्षा (अग्नि सुरक्षा सहित) समिति के गठन के संबंध में।

Sub:- Constitution of Safety (including Fire Safety) Committee-reg.

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू ने सहर्ष निम्नलिखित सुरक्षा समिति का गठन किया है:-

The Director, CSIR-IIIM, Jammu has been pleased to constitute the following Safety Committee:-

क्र.सं/ S.No	नाम एवं पदनाम/Name and Designation	सदस्यों/Members
1.	डॉ. परविंदर पाल सिंह, वैज्ञानिक – एफ / Dr. Parvinder Pal Singh, Scientist-F	अध्यक्ष / Chairman
2.	डॉ. रवि शंकर, वैज्ञानिक – ई / Dr. Ravi Shankar, Scientist-E	सदस्य / Member
3.	डॉ. बूबालन जी, वैज्ञानिक - डी / Dr. Boobalan G, Scientist-D	सदस्य / Member
4.	डॉ. कुलजीत सिंह, वैज्ञानिक - डी / Dr. Kuljit Singh, Scientist-D	सदस्य / Member
5.	डॉ. श्रीनिवास कोटा, वैज्ञानिक - डी / Dr. Srinivas Kota, Scientist-D	सदस्य / Member
6.	डॉ. विनोद कुमार, वैज्ञानिक - डी / Dr. Vinod Kumar, Scientist-D	सदस्य / Member
7.	प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी /COA/AO	सदस्य / Member
8.	वित्त एवं लेखा अधिकारी / FAO	सदस्य / Member
9.	श्री. अशोक कुमार, अनुभाग अधिकारी, (स.) / Sh. Ashok Kumar, SO (G)	सदस्य / Member
10.	श्री. अशोक भार्गव, वरि. तकनीकी अधिकारी (1) / Sh. Ashok Bhargava, STO (1)	सदस्य – संयोजक / Member-Convener

समिति विभिन्न विभागों/प्रभागों से एक-एक सदस्य को सह-योजित कर सकती है, जो संबंधित प्रभागों में सुरक्षा मानदंडों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभाग सुरक्षा समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

Contd...2

The Committee may co-opt one member each from the different departments/division, who will act as the divisional safety co-coordinator to ensure implementation of the safety norms in the respective divisions.

सुरक्षा समिति, निदेशक के अनुमोदन से, आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य कर्मचारी/छात्र को सह-योजित कर सकती है।

The Safety Committee may co-opt any other employee/student, as required with the approval of the Director.

सुरक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हो सकते हैं: /

The terms of reference for the safety committee may be as follows:

1. प्रयोगशाला के लिए सुरक्षा मानकों की योजना बनाना, उन्हें विकसित करना और कार्यान्वित करना।
/ To plan, develop and implement safety standards for the laboratory.
2. प्रयोगशाला में बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों और परिवेश (वातावरण) को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा (कार्ययोजना) निर्धारित करना और लक्ष्य तय करना। / To define road maps and set targets for achieving better health safety standards and environment in the laboratory.
3. वार्षिक सुरक्षा बजट तैयार करना। / To prepare annual safety budgets.
4. प्रयोगशाला में खतरनाक रसायनों की मौजूदगी अथवा उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की रोकथाम और नियंत्रण पर सूचना एवं परामर्श प्रदान करना। / To provide information and advice on the prevention and control of risks arising from the existence or use of hazardous chemicals in the laboratory.
5. खतरनाक रसायनों की खरीद, उपयोग, भंडारण और निपटान अथवा इसके उपयोग और जागरूकता से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन पर परामर्श देना।
/ To review and offer advice on standard operating procedures relating to procurement, usage, storage and disposal of hazardous chemicals or its use and awareness.
6. प्रयोगशाला एवं अग्नि सुरक्षा पर सभी नियमित, शोध (अनुसंधान) और परियोजना कर्मचारियों के लिए समय-समय पर अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें चरणबद्ध तरीके से आभासी अभ्यास (मॉक ड्रिल) शामिल है। / To conduct orientation programmes periodically for all regular, research and project staff on lab and fire safety, including mock drills in a phased manner.
7. आईआईआईएम में सूचित सभी दुर्घटनाओं/घटनाओं का एक डेटाबेस बनाए रखना और इनके मूल कारण का पता लगाने के लिए बुनियादी जांच करना तथा जहां उपयुक्त हो, उपचारात्मक/निवारक उपायों के लिए अनुशंसाएं करना। / To maintain a database on all accidents/incidents reported in IIIM and carry out basic investigations to find the root cause of these and to make recommendations for remedial/preventive measures where appropriate.



Contd...3

8. प्रभागीय समितियों की आवधिक निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना और कार्रवाइयों के लिए सुझाव देना। / To review the periodic inspection reports of the Divisional Committees and suggest actions.
9. प्रयोगशाला में सुरक्षा में सुधार से संबंधित गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें निष्पादित करना। / To plan and execute activities related to improving the safety in the laboratory.
10. संस्थान की सुरक्षा प्रणालियां और प्रक्रियाओं का भारत तथा विदेश दोनों में अपनाई जाने वाली समरूप प्रक्रियाओं के साथ तुलनात्मक मानकीकरण करना / To benchmark Institutes safety practices and procedures with similar practices in laboratories both Indian and abroad.
11. कोई भी अन्य विषय जिससे प्रयोगशाला में सुरक्षा में सुधार हो। Any other matter which would improve the safety in laboratory.
12. समय-समय पर आवधिक सुरक्षा अंकेक्षण (ऑडिट) करना। / To carry out safety audit periodically.
13. सुरक्षा संबंधी सीएसआईआर के नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन। / Implementation of CSIR's policy decision related to Safety.
14. Implementation of the CSIR decision of the Competent Authority on safety matters/ सुरक्षा मामलों पर सक्षम प्राधिकारी के सीएसआईआर निर्णय का कार्यान्वयन।

इस समिति का कार्यकाल 02 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा।

The tenure of this committee is for a period of 02 years or till further orders whichever is earlier.



(कौशल कुमार / Kaushal Kumar)

प्रशासन नियंत्रक / Controller of Administration

प्रतिलिपि:- / Copy to:-

1. उपरोक्त सभी नामित सदस्य। / All the above named members.
2. निदेशक के निजी सचिव। / PS to Director.
3. प्रभारी, सीएसआईआर-आईआईआईएम वेबसाइट/In-Charge CSIR-IIIM Website.
4. कार्यालय प्रति। / Office copy.